न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः– 12/116/2024 रजू दिनांकः 29.08.2024 रजि0 न0 2024/211

अपीलार्थीः–

श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल, निवासी 36, विकास पथ अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 30.09.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 22.07.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.09.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2024 के द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 2 में चाही गई सूचना निर्धारित प्रारूप में नहीं होने एवं विशिष्टियां रहित होने के कारण "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ)" अन्तर्गत देय नहीं होने बाबत न्यास पत्र क्रमांक 3972 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब एवं संलग्नक पत्रादी के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा न्यास पत्र क्रमांक 3972 दिनांक 30.07.2024 के द्वारा सूचना अपीलार्थी को भिजवाया जाना अंकित किया है जबकि अपीलार्थी को भिजवाये गये संलग्नक पत्रादी में पत्रांक एवं दिनांक का अकंन ही नही किया गया है, इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पत्र को कार्यालय अभिलेख पर नही लिया गया है साथ ही कार्यालय हाजा को प्रस्तुत जवाब प्रतिलिपि में भी पत्रांक/दिनांक का अंकन नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना/जवाब से अवगत कराया जाना प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः लोक सूचना अधिकारी के अस्पष्ट जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं जवाब पत्रादी में पत्रांक एवं दिनांक आदि का नियमानुसार पूर्ण अंकन करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि यदि सूचना देयता की श्रैणी में हो तो अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)